न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 60/2020
प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.09.2020
जीसीएमएस नम्बर :— 2020/00105

वादी
मंगलाराम पुत्र श्री नैनाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—गवारिया, निवासी—बागीयाडा, तहसील —रायपु

बनाम

प्रतिवादीगण
1. सुगनाई पत्नि श्री नैनाराम,
2. भागूराम पुत्र श्री नैनाराम,
3. चुन्नीलाल पुत्र श्री नैनाराम,
4. गोपुराम पुत्र श्री दुरगाराम फौत के कायम मुकाम
   4.1 बुद्वाराम पुत्र गोपुराम
   4.2 पारसराम पुत्र गोपुराम
   4.3 चेतनराम पुत्र गोपुराम
5. सोहनलाल पुत्र श्री नाथुराम,
6. रामुडीदेवी पत्नि श्री कलुराम,
7. मदनलाल पुत्र श्री कलुराम,
8. मेघाराम पुत्र श्री कलुराम
9. किशोर पुत्र श्री कलुराम,
10. नरपतराम पुत्र श्री कलुराम,
11. अशोक पुत्र श्री कलुराम,
12. सहायता पुत्री श्री कलुराम, समस्त कौम—गवारिया, निवासीगण—बागीयाडा, तहसील—रायपुर,
13. इन्द्रादेवी पत्नि श्री रामकरण, उम्र—व्यस्क, निवासी बागीयाडा तहसील रायपुर
14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर,

दावा बाबत् बटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188राज. काश्त. अधि.

उपस्थित :— 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2. श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01,03,05
3. श्री शंकरलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4.1,4.2,4.3एवं 06 से 12तक
शेष प्रतिवादी संख्या 02 एवं 13 अनुपस्थित

दिनांक 27.04.2022

निर्णय

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण, न्यायालय में पेश किया गया। वादपत्र का संक्षिप्त विवरण यह हैं कि सरहद मौजा बागीयाडा पटवार हल्का लिलाम्बा, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) मे निम्न वर्णीत आराजीयात स्थित है। जो इस प्रकार हैं :—

खाता सख्या नया	खाता सख्या पुराना	खसरा सख्या	रकबा बिघा—बिस्वा	किस्म
155	139	115	84—00	चाही दोयम
		118	46—02	चाही दोयम
		127	00—05	गै. मु. बेरा
		128	00—17	गै. मु. सडा
		129	16—12	चाही दोयम

कुल खसरा— 5 कुल रकबा— 147 बिघा 16 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही हैं। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात वादी का 1/16 वा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 2 का शामलाती 2/16 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 17/336 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 वा हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 6 से लगायत 12 का शामलाती 1/4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 का 1/84 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। उक्त विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 12 की पुश्तैनी खातेदारी भुमि है एवं प्रतिवादी सं. 13 की खरीदसुदा भुमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के समय से कब्जा काश्त कृषि भुमि करते चले आ रहे हैं जो पुर्वजो के कार्य काल से आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है। विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादीगण का अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है एवं राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज रेकर्ड है विवादित भुमि का रेकर्ड मे हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा हे एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी के पुर्वजो से एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 12 के पुर्वजो के मध्य वादपत्र के में वर्णित आराजी कृषि भूमि कई वर्षो से पुर्वजो के समय से मौके पर आपस मे बंटी हुई है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण मौके रेकर्ड अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे जमाबन्दी अनुसार शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण अपनी पालडोल को लेकर एवं अपने हिस्से कि आराजी बोने के लिए रास्ते हेतु आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 13 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, जिससे विवादित भुमि को सम्परिवर्तन करवाने उघोग व्यवसाय लगाने मे आसानी रहें लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि वादी अपने पिता के जिवित रहते अपने हिस्से कि भुमि को खाद डालकर मिट्टी डालकर उपजाउ बनाया है। जिसे देखकर प्रतिवादीगण की नियत मे खोट आ गई। जिस पर कब्जा करने का उतारु है। इससे बचने के लिए वादी के द्वारा प्रतिवादीग्रण को बार–बार बॅटवारा करने की बात निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 13 को कई बार बटॅवाडा का निवेदन करने के पश्चात् दिनाक 24/08/2020 को पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बॅटवारा मौके अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर कुछ प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 24/08/2020 को साफ मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपनी भुमि को कब्जे काश्त अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेघाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे काश्त रेकर्ड के अनुसार तकास्मा कर वादी का हिस्सा राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीम करवाने एवं राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी भुमि को अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये लगान अलग अलग करवाने हेतु बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। बिनायदावा दिनाक 24.08.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से भुमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करने को कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बागीयाडा पटवार हल्का लिलाम्बा मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत श्रीमान के है ।प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 13 को वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 राज. सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाददायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादीगण के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादीगण की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम बागीयाडा पटवार हल्का लिलाम्बा, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार सरहद मौजा बागीयाडा पटवार हल्का लिलाम्बा, तहसील रायपुर के वाके आराजी वादग्रस्त आराजीयात खाता सं. नया 155 के खसरा नं 115, 118, 127, 128, 129 रक्बा क्रमशः 84 बिघा, 48 बिघा 02 बिस्वा, 05 बिस्वा, 17 बिस्वा एवं 16 बिघा 12 बिस्वा मे वादी का 1/16 वा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 2 का शामलाती 2/16 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 17/336 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 वा हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 6 से लगायत 12 का शामलाती 1/4 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 का 1/84 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। रेकर्ड अनुसार विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार, कब्जे काश्त अनुसार मौके अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को उक्त भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावे व मौके अनुसार तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 05 की ओर से श्री भूपेन्द्र सैन, प्रतिवादी सं. 4.1, 4.2, 4.3 एवं 06 से लगायत 12 की ओर से श्री शंकरलाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया गया। जो बाद पत्रावली में शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 एवं 13 के सम्मन बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील श्री शंकरलाल कुमावत की ओर से प्रतिवाद मय जबाव प्रतिवादी संख्या 06 से 12 की ओर प्रस्तुत किया, जो पत्रावली शामि किया गया। प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी की ओर प्रतिवादी संख्या 04 के फौत होने से पेश किया, जो पत्रावली संलग्न हों, प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 4.1,4.2, 4.3 रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रतिवादी संख्या 04 के कायम मुकाम के अधिवक्ता ने वादपत्र पर जबाव प्रस्तुत किया, जो शा.मि. हों। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा वादपत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस वकुलाय सुनी गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने मौके पर कब्जा काश्त एंव रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश दिया जाना न्यायोंचित समझतें है।

अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2022/647 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा सं.	रकबा	लगान
1.	चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 526/971 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 809/4855 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 1416/4855 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/1	0.9710 है.	22.22
2.	मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 10117/12950 सुगनाई पत्नि नैनाराम 2833/12950 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/2	1.2950 है.	29.22
3.	भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 8498/11331 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 2833/11331 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/3	1.1331 है.	25.72
4.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/9 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/27 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/27 मोकली देवी पुत्री कल्लुराम 1/27 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/27 सहायतादेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/3 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार	115	10.1983 है.	216.82
5.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/36 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 1/84 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 17/336 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/12 भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/36 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/36 मोकलीदेवी पत्नि कल्लुराम 1/36 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/36 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि 1/16 रहन ICICI बैंक जैतारण सहायता देवी पुत्री कल्लुराम 1/36 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/4 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार	118 127 128 129	7.4624 है. 0.0405 है. 0.1376 है. 2.6871 है.	161.34 —— —— 58.10
	योग	कुल खसरा 08	23.9250 है.	513.42

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बागीयाडा पटवार हल्का लिलाम्बा, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा सं.	रकबा	लगान
1.	चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 526/971 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 809/4855 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 1416/4855 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/1	0.9710 है.	22.22
2.	मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 10117/12950 सुगनाई पत्नि नैनाराम 2833/12950 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/2	1.2950 है.	29.22
3.	भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 8498/11331 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 2833/11331 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/3	1.1331 है.	25.72
4.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/9 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/27 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/27 मोकली देवी पुत्री कल्लुराम 1/27 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/27 सहायतादेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/3 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार	115	10.1983 है.	216.82
5.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/36 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 1/84 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 17/336 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/12 भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/36 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/36 मोकलीदेवी पत्नि कल्लुराम 1/36 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/36 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि 1/16 रहन ICICI बैंक जैतारण सहायता देवी पुत्री कल्लुराम 1/36 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/4 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार योग	118 127 128 129	7.4624 है. 0.0405 है. 0.1376 है. 2.6871 है.	161.34 —— —— 58.10
		कुल खसरा 08	23.9250 है.	513.42

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 188 राज. काश्त. अधि. एंव धारा 53 "ए" राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 60/2020

वादी
मंगलाराम पुत्र श्री नैनाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–गवारिया, निवासी–बागीयाडा, तहसील –रायपु

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुगनाई पत्नि श्री नैनाराम,
2. भागूराम पुत्र श्री नैनाराम,
3. चुन्नीलाल पुत्र श्री नैनाराम,
4. गोपुराम पुत्र श्री दुरगाराम फौत के कायम मुकाम
   4.1 बुद्धाराम पुत्र गोपुराम
   4.2 पारसराम पुत्र गोपुराम
   4.3 चेतनराम पुत्र गोपुराम
5. सोहनलाल पुत्र श्री नाथुराम,
6. रामुडीदेवी पत्नि श्री कलुराम,
7. मदनलाल पुत्र श्री कलुराम,
8. मेघाराम पुत्र श्री कलुराम
9. किशोर पुत्र श्री कलुराम,
10. नरपतराम पुत्र श्री कलुराम,
11. अशोक पुत्र श्री कलुराम,
12. सहायता पुत्री श्री कलुराम, समस्त कौम–गवारिया, निवासीगण–बागीयाडा, तहसील–रायपुर,
13. इन्द्रादेवी पत्नि श्री रामकरण, उम्र–व्यस्क, निवासी बागीयाडा तहसील रायपुर
14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01,03,05 एवं श्री शंकरलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4.1,4.2,4.3 एवं 06 से 12तक,शेष प्रतिवादी संख्या 02 एवं 13 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा सं.	रकबा	लगान
1.	चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 526/971 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 809/4855 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 1416/4855 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/1	0.9710 है.	22.22
2.	मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 10117/12950 सुगनाई पत्नि नैनाराम 2833/12950 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/2	1.2950 है.	29.22
3.	भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 8498/11331 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि. 2833/11331 रहन ICICI बैंक जैतारण कौम गवारिया सा. देह	115/3	1.1331 है.	25.72

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

4.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/27 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/9 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/9 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/27 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/27 मोकली देवी पुत्री कल्लुराम 1/27 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/27 सहायतादेवी पुत्री कल्लुराम 1/27 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/3 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार	115	10.1983 है.	216.82
5.	अशोक पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 आबुदेवी पुत्री कल्लुराम 1/36 इन्द्रा पत्नि रामकरण हि. 1/84 किशोर पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 चेतनराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 चुन्नीलाल पुत्र नैनाराम हि 17/336 नरपतराम पुत्र कल्लुराम हि. 1/36 पारसराम पुत्र गोपुराम हि. 1/12 बुधाराम पुत्र गोपुराम 1/12 भागुराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मंगलाराम पुत्र नैनाराम हि. 1/16 मेघाराम पुत्र कल्लुराम 1/36 मदनलाल पुत्र कल्लुराम 1/36 मोकलीदेवी पत्नि कल्लुराम 1/36 रामुडी पत्नि कल्लुराम 1/36 सुगनाई पत्नि नैनाराम हि 1/16 रहन ICICI बैंक जैतारण सहायता देवी पुत्री कल्लुराम 1/36 सोहनलाल पुत्र नाथुराम हि. 1/4 रहन SBI शाखा रायपुर कौम गवारिया सा. देह खातेदार योग	118 127 128 129	7.4624 है. 0.0405 है. 0.1376 है. 2.6871 है.	161.34 —— —— 58.10
		कुल खसरा 08	23.9250 है.	513.42

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	54	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	4	00
मुतफरिक	–	13	00	मीजान			
मीजान		19	00			58	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।